19/7/19 पत्रावली पेश हुई। वादीपक्ष उपस्थित
है। रिपोर्ट नं० 1515 की विधिवत तामील
होने पर उप० नहीं है। वादीपक्ष की बहस
सुनी, बहस पर मनन किया तथा पत्रावली

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
निर्णय [illegible] 30/7/19 मनीष आर्य AOK	पर अपलोड करने पर अपील म्यादवार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अपील से [illegible] जाकर तामील [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

तारीख रजू 25.10.2013

कदमा नम्बर 187/013

शमी
छोटे
जहीररूद्दीन
वीवी
जरीना

} पिसरान बाबू जाति मुसलमान निवारी हाडौली, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)

— अपीलान्ट्स

बनाम

नायव तहसीलदार उप तहसील सूरौठ, जिला करौली

ताहिर अली
मुन्ना
आरिफ

} पिसरान अख्तार जाति मुसलमान, निवासी हाडौली, तहसील हिण्डौन जिला करौली

लादेन पुत्र फारूख अली, नावालिग– सरंक्षक माता खुद नोसी वेवा फारूख अली, जाति मुसलमान निवासी हाडौली, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)

नोसी वेवा फारूख अली

भंगो
. मकबूल
. शक्कर

} पुत्रीया फारूख अली

0. जुम्मा
1. शहजाद
2. राजा

} पिसरान मकसूद

3. रब्वन वेवा मकसूद
4. रज्जो पुत्री मकसूद
5. अनवर अली
6 सावरअली
7. जुल्फकार अली
8. जैनव पुत्र अलीरजा

} पिसरान अलीरजा

} समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान हाडौली तहसील हिण्डौन जिला करौली

9. सरपंच ग्राम पंचायत चिनायटा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली — रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व नामान्तकरण नम्बरी 806 दिनांक 05.06.2013 जो रेस्पोडेन्ट नं0 19 के द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 18 के हक में तस्दीक किया गया।</u>

निर्णय

दिनांक 19.07.2019

क्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण ख्या 806 निर्णय दिनांक 05.06.2013 वाके ग्राम हाडोली तहसील हिण्डौन से अप्रसन्न होकर बताया या है कि विवादीत आराजी खसरा नं. 560, 541, 544, कुल किता 3 कुल करवा 68 ऐयर ग्राम डौली मे स्थित है। जो जमाबंदी सम्बत 2067 से 2070 में लल्लू पुत्र श्री अलाउद्दीन हिस्सा 1/4 बू पुत्र ओसाफ अली हिस्सा 1/4 अख्तर ,मकसूद, अली रजा पिसरान आसिक अली हिस्सा 1/4 ातून वेवा यासील अली हिस्सा 1/4 राहिन बाबू पुत्र ओसाफ अली मुर्तहन साकिन हाडौती दर्ज कार्ड है। लेकिन रेस्पोडेन्ट नं0 19 ने वरवक्त तस्दीक किये जाने नामान्तकरण में रेस्पोडेन्ट नं0 1 आदेश दिनांक 06.05.2013 में राहिन व मुर्तहन के इन्द्राज को खिलाफ कानून हजफ कर दिया ा है जवकि ऐसा कोई आदेश नही है। रेस्पोडेन्ट नं0 19 नें किसी प्रकार का मुर्तहन के बारिसो सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया गया है अपीलान्ट का भूमि पर बूर्जगान के समय से कब्जा ा आ रहा है। साविक खसरा नं. 380 405 419 420 421 423 425 426 कुल किता 8 कुल ा 6 वीघा वाके ग्राम हाडौती में स्थित है जिसकी खातेदारी सम्बत 2014 से 2017 में अलाउद्दीन पिसरान ओसाफ अली हिस्सा 1/2 बराबर विला रहम तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 तगायत 4 के पिता

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

व रेस्पोडेन्ट 5 7 8 व 9 के बाबा व 6 के ससुर तथा 10 ता 12, 14 के पिता व 13 के पति मक्सूद व 15 लगायत 18 के पिता अलीरजा पिसरान ओसाफ अली व मुस्मात खातून वेवा यासीन अली अलाउद्वीन व बाबू हिस्सेंदार मुर्तहिन 1/2 खातेदार दर्ज है। इस प्रकार सें यह भूमि पूर्व से ही अपीलान्ट के बूर्जगान बाबू के यहा रहन रखी हुई थी ओर भूमि पर उसी का कब्जा था जो आज भी है। धारा 15 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत व हैसियत टीनेण्ट उक्त भूमि पर काविज होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जमावंदी 2014 लगायत 2017 के अनुशार उपरोक्त खसरा नं. का 1/2 हिस्सा आसिफ अली पुत्र उमराव व खातून वेवा यासीन अली ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अलाउद्वीन व बाबू के यहा पर रहन रख दिया गया ओर उनका बतोर मुर्तहन कब्जा करा दिया गया लेकिन जमाबंदी में जरिये नामान्तकरण संख्या 84 के अनुशार खसरा नं. 405 420 423 425 426 कुल किता 5 अलाउद्वीन की खातेदारी मे दे दिये गये व शेष नम्बर 380 419 421 अपीलान्ट के पिता बाबू के हिस्से मे कर दिये गये तथा बाबू के मरने के बाद अपीलान्ट की उक्त भूमि के खातेदारी व कास्तकार है। जमाबंदी सम्बत 2021 में आराजी खसरा नं. 380 419 421 अलाउद्वीन का रेस्पोडेन्ट नं. 2 तगायत 18 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारीयो की गलती के कारण दर्ज हो गया था जिसे नामान्तकरण संख्या 84 की मूल भावना के विरूद्व जमाबंदी 2018 से 2021 में आसिफ अली पिता उमराव हिस्सा 1/4 व मुसम्मात खातून वेवा यासीन अली हिस्सा 1/4 राहिन बाबू पुत्र ओसफ अली का इन्द्राज दर्ज है। उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता बाबू मूर्तहन काबिज थे ओर भेज देते थें ओर आराजी को कास्त करते थे ओर मरने के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट धारा 15 के अनुसार खातेदार हो गये है जो नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार कर दिये है जो गलत है अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए नामान्तकरण संख्या 806 निर्णय दिनांक 05.06.2013 के निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया जिसमे रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 18 की ओर से अभिभासक उपस्थित आये 1 व 19 की ओर से कोई उपस्थित नही आयें। रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 18 की ओर से प्रार्थनापत्र दफा 5 म्याद अधिनियम का जबाव पेश किया गया अपने जबाव मे अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र मे सभी मदो को नकारते हुये कहा गया है कि इस नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व मे ही थी जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 मे विवादित आराजी नामान्तकरण सख्या 656 दिनांक 20.11.2010 से विरासत से लल्लू के बजाय खुरसट मुबारकअली मन्सूर अली, पिसरान लल्लू बिटटो छन्ना मून्ना पिसरान लल्लू रवी–1 बानो वेवा लल्लू के नाम होना दर्ज है। तथा नामान्तकरण संख्या 699 दिनांक 24.10.2011 रहन नामा मे खुरसट मुबारकअली का हिस्सा बी.आर.जी.बी शाखा हिण्डौन मे मुर्तहन के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 19.1.2013 से विरासत से बाबू के बजाय समी छोटे जहूरद्दीन पिसरान बाबू बिबि जरीना पुत्री बाबू के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 806 दिनांक 5.8.2013 से विरासत मे अख्तर मकसूद अली रजा के बजाय रेस्पोडेन्टस आदि के नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार से सभी इन्द्राजो का अपीलान्ट को बखूबी जानकारी थी अपील म्याद बाहर है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुये इसी स्टेज पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने वकुलाय की दफा 5 प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रकरण विरासत से सम्बधित है जिसे मूल अपील मे ही जानकारी हो सकती है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 का स्वीकार किया जाता है।

वकुलाओ की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये कहा गया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 19 ने बिना आदेश के ही मुर्तहन के इन्द्राज को हफज कर दिया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया है यह भूमि अपीलानट के पिता के रहन रखी हुयी थी तभी से भूमि पर अपीलान्ट का अपने बुजुर्गान के समय से कब्जे काश्त मे

अधिकारी

Scanned by CamScanner

ली आ रही है। धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत अपीलान्ट भूमि पर काबिज हो कर खातेदारी
धिकार प्राप्त है जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसे खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने बहस कथन मे कहा गया कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का
रू से ही भूमि पर हमारे बुजुर्ग और हम काबिज चले आ रहे है विरासत के तौर पर बारबार
मान्तकरण खुले हुये है नामान्तकरण दर्ज होने के बाद भूमियो को हमारे द्वारा बैंको मे रहन भी
खा गया है उस समय अपीलान्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया है। जो
मान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है वो सही है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई
ावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड
ा अवलोकन करने पर पाया गया कि नामान्तकरण सख्या 806 ग्राम हाडौली मे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1
ायव तहसीलदार के आदेश कमाक एल.आर/33 दिनांक 6.5.2019 पालना मे विरासत का
ामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमे अख्तर मकसूद अलीरजा पिसरान आसिकअली हिस्सा 1/4
फौत हो जाने पर उनकी विरासत के रूप मे वारिसो का नाम दर्ज किया गया है। जहा पर
कील अपीलान्ट का अपने अपील मीमो एवं दोराने बहस कथन था कि विवादित आराजी का जो
ामान्तकरण दर्ज किया गया है वह जमीन मुताबिक जमाबन्दी मे सम्बत 2067 से 70 मे लल्लू पुत्र
लाउददीन हिस्सा 1/4 बाबू पुत्र औसार अली हिस्सा 1/4 अख्तर मकसूद अलीराजा पिसरान
ासिक अली हिस्सा 1/4 खातून वेवा यासीन हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज थी और भूमि राहिन बाबू
त्र औसाकअली मुर्तहन साकिन हाडौली के नाम जमाबदी मे अंकन था जो राजस्व रिकार्ड मे
माबंदी मे यह अंकन सही है। किन्तु दोराने नामान्तकरण मुर्तहन नामान्तकरण मे दर्ज नही किया
या है जिससे विदित हो रहा है कि नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख
ारा इसका सही जमाबंदी से जाच नही कर मात्र सजरा अंकित करते हुये विरासत का नामान्तकरण
र्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा मात्र विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश
िये गये है इसके अतिरिक्त अन्य अंकन को नही हटाने के आदेश दिये गये है और स्वयं पटवारी
ल्का द्वारा नामान्तकरण को कालम नम्बर 7 मे अख्तर मकसूद अलीरजा पिसरान आसिक अली
िस्सा 1/4 राहिन बाबू पुत्र औसार अली मुर्तहन दर्ज नही करते हुये मात्र अख्तर मकसूद अलीरजा
िसरान आसिक अली हिस्सा 1/4 शेष बदस्तूर जमाबंदी अंकित किया गया है। जो विधि विरूद्ध है
ब जमाबंदी मे भूमि राहिन बाबू पुत्र औसार अली मुर्तहन नाम दर्ज था तो उसे हटाने का कोई
पर न्यायालय का आदेश नही है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 19 के द्वारा बिना किसी सुनवाई के मात्र
ामान्तकरण पुष्ट पर नामान्तकरण स्वीकार शब्द अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये गये है जो पर्याप्त
र्णय नही हैं हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सख्या 806 निर्णय दिनांक 5.6.
013 ग्राम हाडौली पटवार मण्डल चिनायटा तहसील हिण्डौन का अपास्त किया जाता है तथा
हसीलदार हिण्डौन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को विधिवत
ुनवाई का अवसर देते हुये तथा साबिक एवं हाल जमाबंदी एव नायव तहसीलदार द्वारा दिये गये
ादेशो का अवलोकन करते हुये विरासत के लिऐ गुणा व अवगुण के आधार पर पुनः निर्णित करे।
र्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

र्णय आज दिनांक 19.7.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner